

-1/12/17(2)

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये

TEN
RUPEES

रु. 10

Rs.



INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश बंधक विमोचन पत्र कीमत रु. 22,90,000/- 40AA 787692

बंधक से मुक्त करने वाले

: मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद् मण्डीदीप
जिला-रायसेन म0प्र0 द्वारा श्री हृदय कुमार अमर (सर्वेयर)
आत्मज स्व. श्री बी.के. अमर, आयु 48 वर्ष,

जिसके पक्ष में बंधक मुक्त किये

: श्री प्रभाकर कंस्ट्रक्शन कंपनी PANN0. ABOFS2491J
द्वारा पार्टनर श्री अनिल कुमार जैन आत्मज स्व. श्री बाबूलाल
जी जैन, निवासी-एच.बी-19, अभिरुचि परिसर, हाउसिंग
बोर्ड कालोनी, नियर ओल्ड सुभाष नगर, भोपाल, (म.प्र.)
राष्ट्रीयता भारतीय।

संपत्ति का विवरण:-

ऐसा जो कि श्री प्रभाकर कंस्ट्रक्शन कंपनी वार्ड नं. 17, मण्डीदीप द्वारा कालोनी के विकास
कार्य हेतु नगर पालिका परिषद् मण्डीदीप के पक्ष में एक बंधक विलेख दिनांक 17-10-2012 को
उपपंजीयक कार्यालय, औवेदुल्लागंज में ग्रंथ क्रमांक 2376, दस्तावेज क्रमांक 1652 पर पंजीबद्ध है।

66

रसीद दस्तावेज वगैरह

6604-11
1217

सं

मुकाम

नं	दस्तावेज की तफसील, तारीख व कीमत या दस्तखत की तारीख या किस्म जो मुहरबंद लिफाफा लिया गया हो जिसके बाबत फीस दाखिल हुई हो उसके ऊपर लिखी हुई इबारत	तादाद फीस (अगर हो तो) दाखल शुदा	रजिस्ट्री के ओहदेदार के छोटे दस्तखत
1	2	3	4
	जी. हर्ष कुमार (C.M.O.) बंधक विमोचन 22,90,000	18495-	

तारीख 04 DEC 2013

उपपंजीयक

TEN
RUPEES

Rs. 10

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH //2//

40AA 787893

जिसमें शीतल टाउन कालोनी के 83 भूखण्ड कंपनी द्वारा विकास कार्य हेतु बंधक रखे गये थे। चूंकि कंपनी द्वारा उक्त आन्तरिक विकास कार्य लगभग 45 प्रतिशत पूर्ण हो गया है।

इस कारण 83 भूखण्ड में से भूखण्ड क्र. 183, से 186, 188, 192, 193, 429, 431 से 433, 263 से 267, 269, 286 से 306 कुल 38 भूखण्ड अनुविभागीय अधिकारी गौहरगंज, जिला रायसेन प्रकरण क्र. 1400/रीडर/2013, दिनांक 17-09-2013 से उक्त भूखण्ड बंधक मुक्त किये गये हैं।

यह कि बंधक से मुक्त प्लॉट जिसको कि इस विलेख के साथ संलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है को उक्त द्वितीय पक्षकार विक्रय हस्तान्तरण आदि कर सकता है एवं उस पर वह अपनी योजना के अनुसार कंस्ट्रक्शन कर सकता है। जिसमें नगर पालिका मण्डीदीप को कोई आपत्ति नहीं होगी क्योंकि उक्त प्लॉट बंधक से पूर्णतः मुक्त हो चुके हैं।

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
रु.10



TEN
RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

//3//

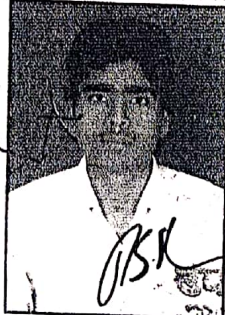
40AA 787894

अतः यह बंधक विमोचन पत्र साथ राजी खुशी बिना दबाव के अपने सही होश हवास में
सुन समझकर लिख दिया है कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवें।

इति दिनांक 04/12/13.....

हस्ताक्षर गवाह:-

1. हस्ताक्षर
जयप्रकाश सिंह
एन सी मिस्ट्री, किंग ऑफिस
20-MP04N-2007-0105646

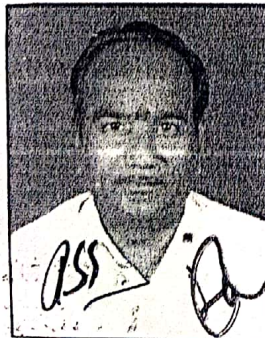


हस्ताक्षर

2. हस्ताक्षर
महेश्वर प्रसाद
महेश्वर प्रसाद, भोपाल

हस्ताक्षर

नोट:- इस दस्तावेज में कोई काट-छांट नहीं है।



कामिनी गुप्ता

अधिवक्ता

जी.एम-4, ए-ब्लाक, मानसरोवर कांम्प्लेक्स

7, नं0 स्टाप भोपाल

मो.न. 9826080941

04 DEC 2013

श्री पुस्तक क्रमांक... A1... प्रतिरिक्त
पं० 2601... से पुस्तक 04...
98 से 101... नक 1217(2)
देकर पंजी... किया गया।
प्रतिवेदन...

PS



पुस्तक पुस्तक...
सेट पुस्तक...
18465=00
30=00
/

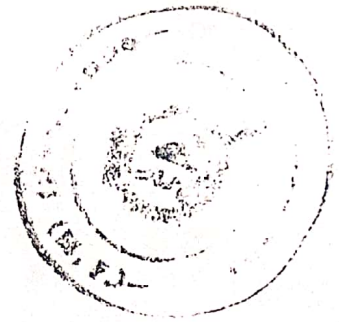
PS

पुस्तक पुस्तक...
सेट पुस्तक...

PS

22/12

9359
10L
R23/12/13



श्री हृदय कुमार शर्मा

04 DEC 2013

(Signature)

श्री निल कुमार शर्मा
स्टाम्प विभाग
स्टेशन रोड, मण्डली
मो.-9827080037



श्री निल कुमार शर्मा

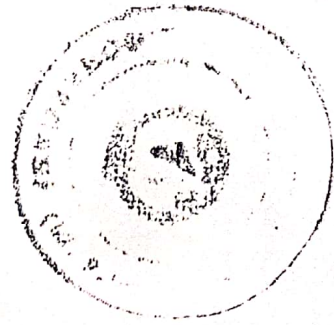
04 DEC 2013

(Signature)

(Signature)

(Signature)

9308
152
23/12/13

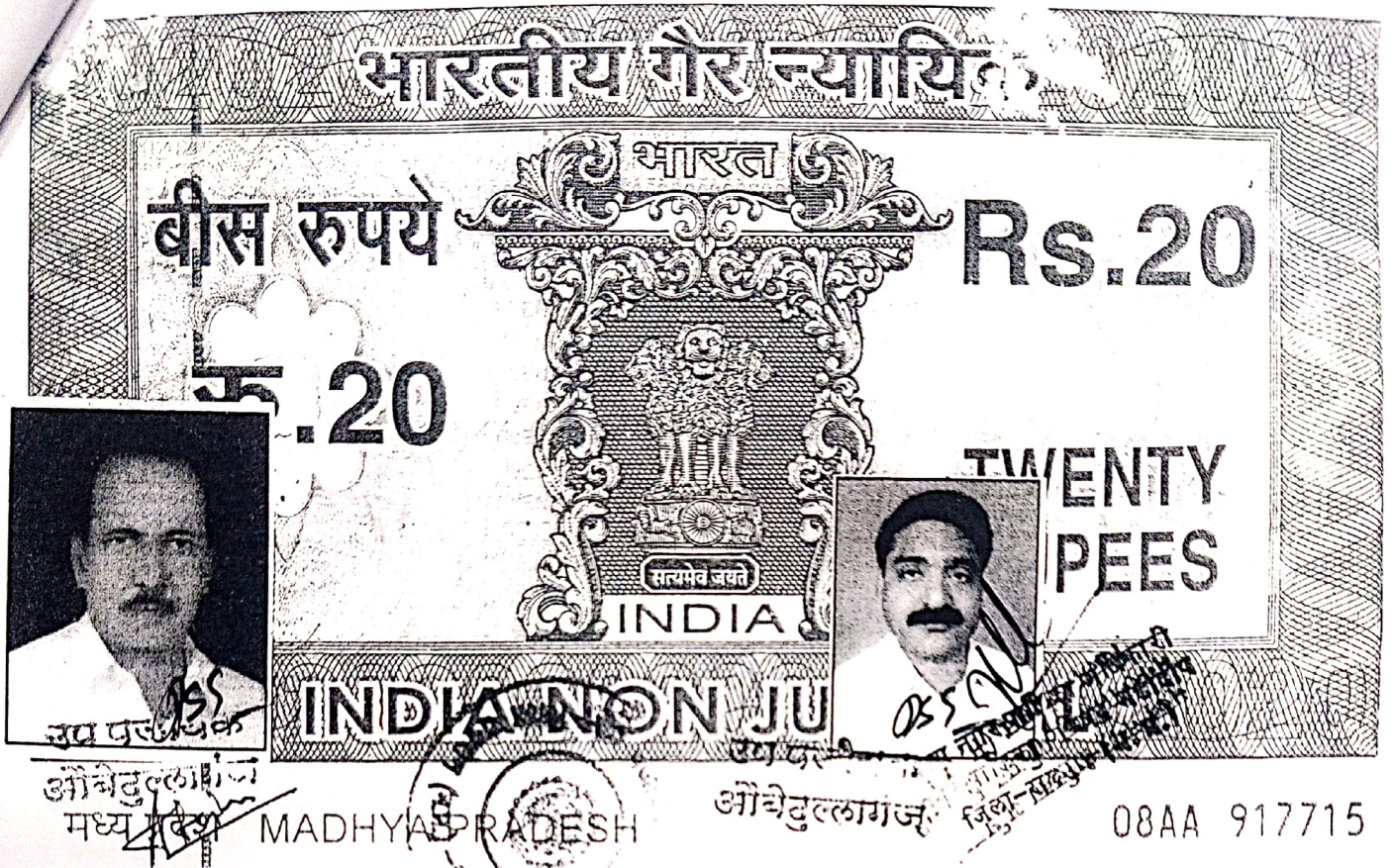


मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका
परिषद् मण्डीहीप जिला - रामसेन द्वारा
श्री हंस कुमार मेहर S/O स्व. श्री बी. डे. मेहर

बंदी विमोचन पत्र
जिसका लाख पच्ची हजार रुपए
रु. 90,000/-

श्री जसवंत सिंह चिडार S/O श्री टी. सी. चिडार
R/O - श्रीपाल

04 DEC 2013



सिक्युरटी बंधक कीमत ₹.50,00,00,000/-...

अनुबंधकर्ता :- श्री प्रभाकर कंस्ट्रक्शन कंपनी मण्डीदीप द्वारा श्री अनिल कुमार जैन आत्मज स्व. श्री बाबूलाल जी जैन आयु 50 वर्ष, (बंधककर्ता) पंजीयन क्रमांक 01/01/00319/09 दिनांक 24.03.2009 निवासी-एच.बी-19, अभिरुचि परिसर, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, नियर ओल्ड सुभाष नगर, भोपाल म0प्र0।

अनुबंधगृहिता :- मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद् मण्डीदीप जिला-रायसेन म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1961 और उसके अंतर्गत निर्मित मप्र0 नगर पालिका कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वन्धन तथा शर्तें 1988 के अधीन अनुबंधकर्ता भू-स्वामी श्री अनिल कुमार जैन आत्मज स्व. श्री बाबूलालजी जैन आयु-लगभग 50 वर्ष, निवासी-एच.बी-19, अभिरुचि परिसर, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, नियर ओल्ड सुभाष नगर, भोपाल म0प्र0। द्वारा प्रभाकर कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा नगरीय क्षेत्र में भूमि खसरा नं0 437/1/1/1/2 रकवा 5.92 एकड़ , 437/1/1/1/3 रकवा 3.00 एकड़, 437/4 रकवा 2.00 एकड़, 438/1, रकवा 1.00 एकड़, 438/2 रकवा 1.00 एकड़, 438/3 रकवा 1.00 एकड़, 438/4 रकवा 1.00 एकड़ कुल रकवा 14.92 एकड़ पर शीतल टाउन के नाम से विकसित की जाना है।

Signature

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद् मण्डीदीप
जिला-रायसेन

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20



Rs.20

TWENTY
RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

08AA 917716

//2//

1. यह कि मेरे अनुबंधकर्ता द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्तें नियम 1988 के अनुसार कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण कराकर न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी गौहरगंज जिला-रायसेन के पृष्ठ क्रमांक /64/बी-12/2011-12 दिनांक 16.01.2012 द्वारा कालोनी विकास की अनुमतियाँ प्राप्त कर ली है।

2. यह कि कंपनी द्वारा प्रस्तावित कालोनी अभिन्यास कार्यालय सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला-कार्यालय विदिशा म0प्र0 से अनुमोदन करा लिया है। जारी अनुमोदन पत्र पृष्ठ क्रमांक 2383/जि.का/न0ग्रा0नि0/11 विदिशा दिनांक 29.12.2011 में उल्लेखित शर्त क्रमांक 1 से 21 तक का पूर्णतः पालन किया जावेगा।

3. यह कि प्रस्तावित अभिन्यास में म0प्र0 कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्तें नियम 1988 के नियम 10(5) के अनुसार नियम आय वर्ग के लिए अभिन्यास में दर्शाये निम्न अनुसार 47 भवन निर्मित कर कंपनी द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे। जो अभिन्यास में चिन्हित है।

Asim

नगर विकास अधिकारी
गौहरगंज जिला-रायसेन
म.प्र.



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

08AA 917723

//3//

4. निर्धारित नियमों के तहत एवं नियम 10(1) के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के लिये विकसित भूखण्ड के 1402.70 वर्गमीटर के पूर्ण विकसित भूखण्ड आरक्षित रखे गये हैं।
5. यह कि उप नियम (1) (2) (3) और (5) के अधीन बिन्दु क्रमांक 3 एवं 4 अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा निम्न आय वर्ग के लिये आरक्षित भूखण्डों के आवंटन के लिये पात्र व्यक्तियों का चयन भूखण्ड भवन के मूल्य का अवधारण तथा आवंटन नियम 7 में बनाई गई समिति द्वारा किया जायेगा।
6. यह कि नियम 12 अनुसार कंपनी द्वारा कमजोर आय वर्ग (निम्न आय वर्ग) के लिये रखे गये भूखण्डों को छोड़कर शेष के 25 प्रतिशत की संख्या में भूखण्ड कुल संख्या 83 नगर पालिका के पास बंधक रखे गये हैं।

Asen

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद मन्दीप
दिनांक 10/08/2018



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

08AA 917718

//4//

जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

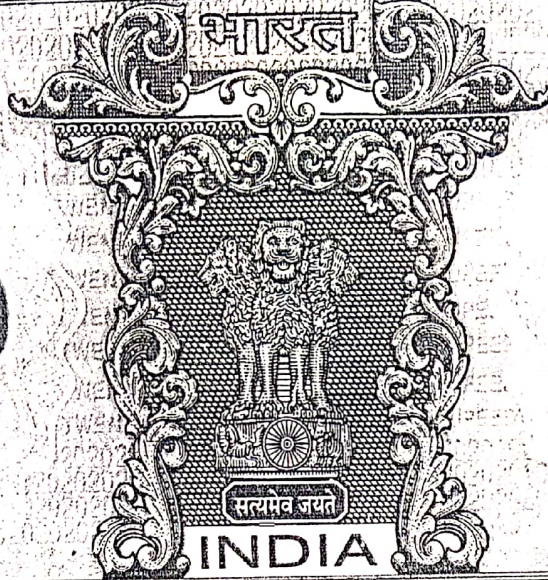
भूखण्ड क्रमांक.....सेतक	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल
37	01	63.04
38	01	70.53
39	01	60.99
40	01	56.82
41	01	52.91
42	01	53.56
43	01	46.62
44	01	42.34
45	01	60.36
46	01	44.56
47	01	50.05
48	01	44.56
49	01	50.69
120 से 127	08	356.48
183 से 188	06	451.08
192 से 193	02	150.36

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page.

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु. 20



Rs. 20

TWENTY
RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

08AA 917724

//5//

263 से 268

269

270

272 से 285

286

287 से 306

307

416 से 417

420 से 423

429

431

432

433

कुल भूखण्ड

06

01

01

14

01

20

01

02

04

01

01

01

01

83

310.32

110.29

30.02

623.84

59.67

891.02

55.01

89.12

178.24

34.20

62.15

62.63

59.60

4221.06 वर्गमीटर

Adin

मुख्य न्यायाधिकारी
नगरपालिका परिषद मंडीदीप
जिला-...

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु. 20

Rs. 20

TWENTY
RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

08AA 917720

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

//6//

उक्त प्लॉट नियम 13 के उपनियम 2 के अध्याधीन रहते हुये कालोनी का आंतरिक विकास का कार्य पूर्ण होने पर बंधक मुक्त किये जायेंगे। उसके उपरान्त ही अनुबंधकर्ता कंपनी द्वारा विक्रय किये जा सकेंगे। अनुबंधित प्लॉटों की देखभाल, उन्हें सुरक्षित रखने, प्लॉटों के स्वरूप में कोई परिवर्तन न हो, एवं उस पर किसी प्रकार का अतिक्रमण आदि न हो यह उत्तरदायित्व अनुबंधकर्ता का रहेगा।

अनुबंधकर्ता द्वारा उप खण्ड अधिकारी महोदय गौहरगंज, रायसेन म0प्र0 के मापदण्डों के अनुसार अनुबंध निष्पादन दिनांक से 3 वर्ष के अंदर उपरोक्त वर्णित भूमि क्रमांक के खसरा भूमि पर पूरा विकास कार्य नहीं किया जाता या विकास कार्य शेष रहता है तो नगर पालिका परिषद मण्डीदीप को अधिकार होगा कि व अनुबंधित प्लॉटों की नीलामी कर प्राप्त राशि से विकास कार्य पूर्ण करा लें। इसके अतिरिक्त अधिक राशि व्यय होने पर ब्याज सहित अनुबंधकर्ता से प्राप्त कर सकेगी। जिसमें अनुबंधकर्ता को किसी प्रकार कोई आपत्ति नहीं होगी।

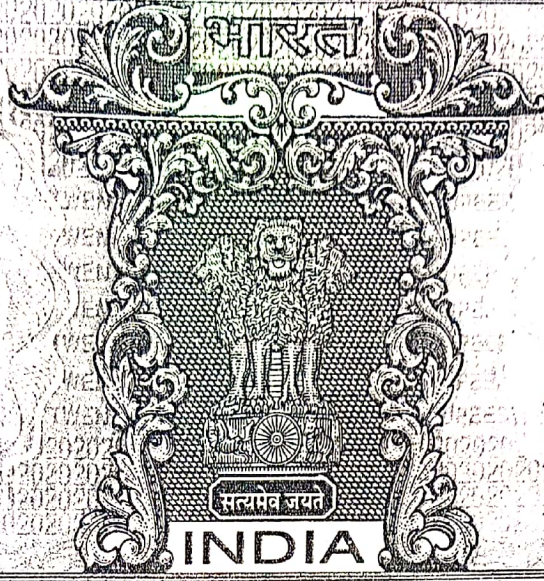
Adair

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद मण्डीदीप
जिला-रायसेन (म. प्र.)

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु. 20



INDIA

Rs. 20

TWENTY
RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

08AA 917725

//7//

7. इस दस्तावेज के मूल्यांकन के लिये अमानत (बंधक) के रूप में रखे भूखण्ड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं निम्न आय वर्ग हेतु आरक्षित रखे गये भूखण्ड संलग्न नक्शे में कलर से चिह्नित किया गया कालोनी का नक्शा इस अनुबंध भाग अंश माना जायेगा। बंधक रखे गये भूखण्डों के कुल क्षेत्रफल 4221.06 वर्गमीटर है।

जिस पर भारतीय स्टाम्प एक्ट के अनुसार मुद्रांक लगाकर विधिवत पंजीकृत कराया जा रहा है।

8. उक्त विन्दुओं के अतिरिक्त अनुबंधकर्ता म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1961 एवं म0प्र0 नगर पालिका कालोनाईजर (निर्बन्धन एवं शर्तें) नियम 1998 म0प्र0 भूमि विकास नियम 1984 के कालोनी विकास हेतु किये गये प्रावधानों का पूर्णतः पालन करने हेतु वाध्य रहेगा।

Ascher

[Signature]
मुख्य नगर पालिका अधिनियम
नगर पालिका परिषद मंडीदीप
जिला-रायसेन (म. प्र.)

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु. 20

Rs. 20

TWENTY
RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

08AA 917722

//8//

अतः सुरक्षा अनुबंधपत्र आज दिनांक को स्थान औबेदुल्लागंज में निम्न साक्षियों की उपस्थिति में स्वेच्छा से अपने हस्ताक्षर कर निष्पादित कर दिया है। कि प्रमाण रहे समय पर काम आवें।

इति दिनांक :- 08/10/2012

1. हस्ताक्षर

नाम :- रंजीत सिंह गौर

पिता का नाम :- श्री जगदीश सिंह गौर

पता :- जे-276, कोटरा सुल्तानाबाद भोपाल

परीचय पत्र नं- WBX0165753

हस्ताक्षर

2. हस्ताक्षर

नाम :- टी.पी. मिश्रा

पिता का नाम :- डॉ. आर.एस. मिश्रा

पता :- डी-14, बागदिलकुशा, रायसेन रोड, भोपाल

लाईसेंस नं- MP04/009002/06

हस्ताक्षर
मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद मंडीदीप
जिला-रायसेन (म. प्र.)

कामिनी गुप्ता
अधिवक्ता

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद मंडीदीप
जिला-रायसेन (म. प्र.)

जी.एम-4, मानसरोवर कांम्लेक्स
7, नं० स्टाप भोपाल

नोट :- इस दस्तावेज में कोई कांट-छांट नहीं है।

[illegible]

16 OCT 2012

7 OCT 2012

44
 प्रमाणित है — का
 की प्रतिलिपि प्रमाणित है —
 पंख 237.6 के पंख 09
 52 — पंख 1652
 प्रमाणित है —
 प्रमाणित है —
 प्रमाणित है —

॥ श्री गणेशाय नमः ॥

शुद्ध शुल्क
 बेट शुल्क 40145 = ∞
 गजीयन शुल्क 30 = ∞
 1600 किलो शुल्क
 अन्य शुल्क
 नाला शुल्क
 प्रातिनिधिक शुल्क 40175 = ∞
 कमी शुल्क